



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण:-

अवगत कराना है कि कस्बा राठ जिला हमीरपुर में दिनांक 25/11/2020 की रात में विक्रान्त गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता नि० मुहाल कोट बाजार कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर जो कि किराये की पिकअप से माल लेने हेतु माधौगढ उरई जनपद जालौन जा रहे थे, को अज्ञात बदमाशों द्वारा कस्बा राठ में ही कृष्णा स्वीट हाउस के पास रास्ते में बाइक से रास्ता अवरुद्ध कर तमंचा के बल पर डरा धमका कर पिकअप में झोले में रखे विक्रान्त गुप्ता के 2,75,000/- रुपया व दो अदद मोबाइल फोन को लूट कर भाग गये थे। इस लूट के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में लगातार प्रयास किया जा रहा था। उक्त पिकअप के ड्राइवर असवेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र रमेश राजपूत नि० ग्राम टिकरिया थाना राठ जनपद हमीरपुर पर शक होने पर उससे कडाई से पूछताछ पर उसने बताया कि सेठ से मेरा 03 माह पूर्व 10,000/- रु० के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था जिसमें सेठ ने मेरी काफी बेइज्जती की थी इसका बदला लेने के लिये मैंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया है। पिकअप चालक असवेन्द्र की निशादेही पर घटना में शामिल अन्य 04 अभियुक्तों 1.जयप्रकाश 2.रोहित कुमार 3.ओमप्रकाश उर्फ ओमी 4.संदीप राजपूत को दिनांक 26/11/2020 को लूट के 1,27,000/- (एक लाख सत्ताईस हजार रुपयो) व एक अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद कारतूस जिन्दा के साथ गिरफ्तार किया गया था एवं घटना में शामिल अन्य अभियुक्त हकीम मुहम्मद को मय लूट के 50,000/- रुपयो के साथ दिनांक 30/11/2020 को गिरफ्तार किया गया था। घटना में शामिल अभियुक्त सुदर्शन पुत्र बालादीन ने दिनांक 04/12/2020 को मान० न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया था जो जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध है। मान० न्यायालय से अभियुक्त सुदर्शन उपरोक्त का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त की निशादेही पर अजनर से उसके गांव स्यावन जाने वाले रास्ते पर छोटे पहाड के ऊपर से छियूल के पेड के पास से पत्थर के नीचे से 91,000/- रुपया आज दिनांक 16/12/2020 को बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में लूटे गये 2,75,000/- रुपयो में से 2,68,000/- रुपये की बरामदगी की गयी है व 7000/- रुपये अभियुक्त सुदर्शन द्वारा खर्च करना बताया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण:-

1. असवेन्द्र पुत्र रमेश राजपूत नि० टिकरिया थाना राठ,
2. जयप्रकाश पुत्र सरवन राजपूत नि० उमरई महोबकंठ,
3. रोहित राजपूत उर्फ अनिल कुमार पुत्र निरपत,
4. ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र मुन्नालाल,
5. संदीप पुत्र बलराम राजपूत,
6. हकीम मुहम्मद पुत्र उसमान,
7. सुदर्शन पुत्र बालादीन नि०गण स्यावन,अजनर महोबा

अभियुक्तों के कब्जे से बरामदी-

1. लूटे गये 2,68,000/-रु०(दो लाख अडसठ हजार रुपया)
2. एक अदद तमंचा 315 बोर
3. 04 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
4. 02 अदद मोबाइल फोन



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० कृष्ण कुमार पाण्डेय
2. उ०नि० शरदचन्द्र पटेल
3. उ०नि० यज्ञनारायण भार्गव
4. हे०का० बृजेन्द्र सिंह